

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.11(2)नविवि / डेगाना / 2017


जयपुर दिनांक: १०/०५/२०२२

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत डेगाना मास्टर प्लान-2041 के नगरीय क्षेत्र हेतु इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 11 जनु, 2017 द्वारा डेगाना नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित 16 राजस्व ग्रामों में से क्रम संख्या 02, 05, 07, 09, 13 व 14 पर अंकित ग्राम क्रमशः डेगाना गावं, गुन्दीसर, कितलसर, नून्द, तिलानेश व किरड़ को विलोपित करते हुए एवं क्रम संख्या 11 व 12 पर अंकित ग्राम क्रमशः रेवंत, तामड़ोली के पार्ट को सम्मिलित करते हुए क्षितिज वर्ष 2041 तक के लिए संशोधित नगरीय क्षेत्र में निम्न राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया जाता हैः—

क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम	
	अंग्रेजी	हिन्दी
1.	CHAND ROON	चांदारूण
2.	GAURERI CHANCHA	गौरड़ी चांचा
3.	GAURERI KARNA	गौरड़ी करणा
4.	JHAGARWAS	झगड़वास
5.	LANGAUR	लंगौड़
6.	RAWALIYAWAS	रावलियावास
7.	REWANT-PART(500 Meters along NH 458)	रेवंत-पार्ट (एनएच 458 के सहारे 500 मीटर तक)
8.	TAMORLI(500 Meters along western side of NH 458 & Complete area along eastern side)	तामड़ोली-पार्ट (एनएच 458 के सहारे पश्चिमी ओर 500 मीटर तक व पूर्वी ओर का सम्पूर्ण भाग)
9.	BAJIYASAR	बाजियासर
10.	DEVNAGAR	देवनगर

राज्यपाल की आज्ञा से


१०/०५/२०२२
 (नवनीत कुमार)
 संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. जिला कलक्टर, नागौर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर।
9. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, डेगाना, जिला—नागौर।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रालवी।

11

संयुक्त शासन सचिव—द्वितीय